

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक एफ.10(35)नविवि / 3 / 2010पार्ट-1

जयपुर, दिनांक :-

24 NOV 2011

अधिसूचना

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 18) की धारा 182 स्पष्टित धारा 337 की उपधारा (2) के खण्ड (xxxiv) व राजस्थान नगर विकास अधिनियम, 1959 (1959 का अधिनियम संख्याक 35) की धारा 73ख एवं जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 (1982 का अधिनियम संख्याक 25) की धारा 90 तथा जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्याक 2) की धारा 85 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तैयार किये गये राजस्थान नगरीय क्षेत्र (भू-उपयोग परिवर्तन) नियम, 2010 के 5(ड.) में निदेशक, नगर आयोजना, जयपुर विकास प्राधिकरण के स्थान पर मुख्य नगर नियोजक राजस्थान को राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति का सदस्य सचिव नियुक्त किया जाता है।


राज्यपाल महोदय की आज्ञा से

ट.

(पुरुषोत्तम बियाणी)
उप शासन सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, स्थायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. आयुक्त, जयपुर / जोधपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर / जोधपुर।
8. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपने स्तर पर समस्त स्थानीय निकायों को आवश्यक निर्देश जारी करावें।
9. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
10. मुख्य नगर नियोजक (एनसीआर), नगर नियोजन भवन, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर।
11. निदेशक (नगर आयोजना), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
12. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, जयपुर को मय सी.डी. भेजकर लेख है कि अधिसूचना को राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित कर एक प्रति इस विभाग को भिजवाने की व्यवस्था करें।
13. समस्त जिला कलक्टर।
14. निजी सहायक, शासन उप सचिव, प्रथम/द्वितीय/तृतीय/समस्त अनुभाग, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
15. सचिव, नगर विकास न्यास, अलवर/अजमेर/भरतपुर/भिवाड़ी/भीलवाड़ा/बीकानेर/आबू जिला सिरोही/कोटा/उदयपुर/श्रीगंगानगर/जैसलमेर।
16. निदेशक, जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
17. रक्षित पत्रावली।



(प्रदीप कपूर)
उप नगर नियोजक